न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 144 / 2019

श्रीराम पुत्र श्री मालाराम जाति सैनी निवासी वार्ड नम्बर 24 गोलाई मोड़ रोड़ नम्बर 3 खाजपुर कच्चा रास्ता झुंझुनू।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 27.09.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 03.09.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 144 / 2019 पर दिनांक 03.09.2019 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2019 / 1311–12 दिनांक 06.09.2019 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू ने पत्रांक रीडर / आर.टी.आई. / 2019 / 1964 दिनांक 25. 09.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन करना बताया है उक्त आवेदन कार्यालय रिकार्ड की जांच करने पर प्राप्त होना नहीं पाया गया। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपील की प्रति प्राप्त होने पर प्रार्थी को बिन्दु संख्या 1, 5 की प्रति उपलब्ध करवा दी गई है तथा बिन्दु संख्या 2, 3, 4, 6 की सूचना प्रश्नात्मक है। अतः सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रश्नोत्तर सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान नहीं है जो इस कार्यालय के पत्र क्रमांक रीडर / आर.टी.आई / 2019 / 1901 दिनांक 20.09.2019 के द्वारा आवेदक को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन करना बताया है उक्त आवेदन उनके कार्यालय रिकार्ड की जांच करने पर प्राप्त होना नहीं पाया गया। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपील की प्रति प्राप्त होने पर अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 1, 5 की प्रति उपलब्ध करवा दी गई है तथा बिन्दु संख्या 2, 3, 4, 6 की सूचना प्रश्नात्मक है। अतः सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रश्नोत्तर सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान नहीं है जो उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक रीडर / आर.टी. आई / 2019 / 1901 दिनांक 20.09.2019 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 27.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनूं